

PA5 1691
11/7/19

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 10(1)चिस्वा/2/2019/आईडी 1750

जयपुर दिनांक

04 JUL 2019

निदेशक (जन. स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर।

11/7/19

NO/PA/2019/3602
104 JUL 2019
महोदय,

डॉ. महेश कुमार खत्री, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
पारलू, जिला-बाडमेर को नेशनल बोर्ड परीक्षा, नीट पीजी, 2019 में
सम्मिलित होने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. महेश कुमार खत्री,
चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारलू, जिला-बाडमेर को नेशनल बोर्ड
परीक्षा, नीट पीजी, 2019 में सम्मिलित होने हेतु अनुमति निम्नांकित शर्तों के
अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त नीट पीजी, 2019 में शामिल होने के लिए सक्षम स्तर से राजस्थान नियमों के अनुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत कराकर जायेगे।
2. उक्त अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. उक्त कोर्स करने के पश्चात् कोई अतिरिक्त लाभ एवं इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग नहीं करेंगे।
4. उक्त पद पर चयन होने पर नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ही जावेंगे।
5. राजकार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
6. चयन होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 121-ए अतर्गत बन्ध पत्र प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय

(संजय कुमार)

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. डॉ. महेश कुमार खत्री, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
पारलू, जिला-बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

1

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/एम-2137/2019/ 592 दिनांक 17/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्राक ए010(1)चिस्वा/2/2019 आइडी--1750 दिनांक 04.07.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाडमेर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारलू जिला बाडमेर।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बन्धित अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
7. डॉ० महेश कुमार खत्री, चिकित्सा अधिकारी प्रास्वाकेन्द्र पारलू बाडमेर को पालनार्थ।
8. सक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०जयपुर।